

कार्यालय नगर पालिका परिषद सोनभद्र, जनपद-सोनभद्र

पत्रांक :- 1304/राज्य वित्त/स्वच्छ भारत मिशन /14वां वित्त-निविदा/2020

दिनांक :- 07-03-2020

निविदा सूचना Received at NIK-12.03.2020

निम्नांकित कार्य हेतु नगर पालिका परिषद सोनभद्र में पंजीकृत एवं निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-एक/706/कम्यू०सेल/2019 दिनांक 27 सितम्बर, 2019 के अनुसार ठेकेदारों से वित्तीय वर्ष 2019-20 में 14वां वित्त मद आयोग /स्वच्छ भारत मिशन/ राज्य वित्त से उपलब्ध धनराशि से प्रस्तावित रू० 5.00 लाख के उपर के कार्यों की सीलबन्ध निविदा दिनांक 18.03.2020 को समय 12.00 बजे अपरान्ह 2.00 बजे तक जिलाधिकारी कार्यालय में आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन अपरान्ह 3.00 बजे जिलाधिकारी महोदय या उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा कलेक्ट्रेट में खोली जायेगी एवं रू० 5.00 लाख से नीचे की निविदा दिनांक 19.03.2020 को कार्यालय नगर पालिका परिषद सोनभद्र में समय 12.00 बजे से अपरान्ह 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है एवं उसी दिन अपरान्ह 3.00 बजे नगर पालिका कार्यालय में खोली जाएगी। रू० 5.00 लाख से उपर की निविदा प्रपत्र की बिक्री दिनांक 16.03.2020 को 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक जिलाधिकारी कार्यालय के स्थानीय निकाय लिपिक काउन्टर से एवं कार्यालय नगर पालिका परिषद सोनभद्र तथा रू० 5.00 लाख के नीचे निविदा प्रपत्र की बिक्री नगर पालिका कार्यालय से उक्त तिथि एवं समय पर ही निर्माण लिपिक काउन्टर से नकद भुगतान के आधार पर की जायेगी। निर्माण कार्य के सम्मुख अंकित निविदा का 2% जमानत धनराशि F.D.R या N.S.C मूल रूप से अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, सोनभद्र के पदनाम से बन्धक कर निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त अथवा अपूर्ण एवं सशर्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। प्राप्त निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सोनभद्र में निहित होगा। विशेष जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

क्र०	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि	जमानत की धनराशि 2%	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
14वां वित्त आयोग मद से प्रस्तावित कार्य					
1	वार्ड नं०-6 में सतोष के मकान से सहारा हास्पिटल व श्री एकेडमी स्कूल से सोनी धर्मशाला तक नाली मरम्मती व आर०सी०सी० ढक्कन का कार्य।	5.58	11200.00	600.00	31 मार्च, 2020
2	वार्ड नं०-7 में बक्शी जी के घर से अलाउद्दीन के घर व डा० अस्थाना से पिन्दू रावत होते हुए अजय गुप्ता के मकान तक रंगीन रबर मोल्ड इण्टरलाकिंग का कार्य।	6.76	13600.00	700.00	"
3	वार्ड नं०-9 में दीवान चन्द्र पटिया के मकान से छत्रमणि देव के मकान तक कवर्ड नाली व सी०सी० रोड का निर्माण कार्य।	7.43	14900.00	800.00	"
4	वार्ड नं०-10 में रामसरोवर तालाब के पास स्थित ट्रान्सफार्मर के बगल में पार्क का निर्माण कार्य।	4.05	8100.00	500.00	"
5	वार्ड नं०-11 में बेटू तिवारी से रोडवेज मेनगेट तक रंगीन रबर मोल्ड इण्टरलाकिंग, नाली मरम्मती व ढक्कन का कार्य।	2.22	4500.00	300.00	"
6	वार्ड नं०-11 में आर्य नगर जुम्नन पाण्डेय के बगल में स्थित कुर्पे का सौन्दर्यीकरण कार्य।	1.56	3200.00	200.00	"
7	वार्ड नं०-14 में बसन्त श्रीवास्तव के घर से कल्लू कहार के घर तक सी०सी० रोड व पाइप लाइन डालने का कार्य।	3.01	6100.00	400.00	"
8	वार्ड नं०-15 में कृपादत्त पाठक के मकान से बाबा के पोखरा तक नाली व ढक्कन का निर्माण कार्य।	5.22	10500.00	600.00	"
9	वार्ड नं०-15 नवमी से भुवरी देवी तक सी०सी० रोड व नाली व ढक्कन का निर्माण कार्य।	9.68	19400.00	1000.00	"
10	वार्ड नं०-16 में शाहिद के घर से गया प्रसाद के घर तक दोनों पटरी पर रंगीन रबर मोल्ड इण्टरलाकिंग का कार्य।	4.28	8600.00	500.00	"
11	वार्ड नं०-17 में डा० श्रीराम के मकान से गोपाल सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग व कवर्ड नाली का निर्माण।	1.21	2500.00	200.00	"
12	वार्ड नं०-18 मो० हाइडिल कालोनी में कृष्णानन्द त्रिपाठी से सरस्वती शिक्षा मंदिर स्कूल होते हुए रोड तक नाली मरम्मती, ढक्कन व सी०सी० रोड का निर्माण कार्य।	9.96	20000.00	1000.00	"
13	वार्ड नं०-19 में हीरा प्रजापति के घर से जवाहिर के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य।	3.02	6100.00	400.00	"
14	पशु चिकित्सालय वाया ओम आई सेन्टर से होते हुए रमेश थरड से चार तल्ला तक हाट मिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	3.36	6800.00	400.00	"
15	वार्ड नं०-22 में दीपू जलेबी वाले से हीरालाल के मकान की ओर कवर्ड नाली का कार्य।	4.84	9700.00	500.00	"
16	वार्ड नं०-23 में महादेव इण्टरप्राइजेज से रामजियावन के घर तक मिट्टी डालने व जी०एस०बी० बिछाने का कार्य।	6.11	12300.00	700.00	"
17	वार्ड नं०-23 में महेन्द्र पटेल के घर से श्रीवास्तव के घर तक कवर्ड नाली का कार्य।	9.86	19800.00	1000.00	"
18	मजिस्ट्रेट रोड पर मस्जिद से कृष्णानन्द त्रिपाठी तक हाट मिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	6.30	12600.00	700.00	"
19	नगर के बड़े विभिन्न नालों के अन्तिम छोर पर जाली लगाने का कार्य (डैपिंग)।	0.10	200.00	100.00	"

क्रमशः पेज 2 पर.....

20	बडागांव में सालिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु जमीन की बाउण्ड्रीवाल व कम्पोस्टिंग पिट का निर्माण कार्य।	6.46	13000.00	700.00	..
स्वच्छ भारत मिशन/राज्य वित्त आयोग मद से प्रस्तावित कार्य					
21	रामसरोवर तालाब पर पिक शौचालय का निर्माण कार्य (5 शीट)	9.37	18800.00	1000.00	..

निविदा की अन्य शर्तें-

- सर्शत निविदायें मान्य नहीं होगी और स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
- किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद सोनभद्र में निहित होगा।
- निविदा के साथ 02 प्रतिशत धरोहर राशि की एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0/एन0एस0सी0 कालम संख्या-4 में अंकित विवरण के अनुसार अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, सोनभद्र के पदनाम से बन्धक कराकर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- निविदा स्वीकृत होने के पश्चात सम्बन्धित ठेकेदार को शेष 8 प्रतिशत धरोहर धनराशि एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद सोनभद्र के पदनाम से बन्धक कराकर जमा करना अनिवार्य होगा।
- निविदा खोले जाने के समय निविदादाताओं की उपस्थिति वांछनीय है।
- निविदा के साथ निविदादाता को टी0-4, टी0-5, टी0-6, पै नं0, जी0एस0टी0 एवं श्रम विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
- निविदा स्वीकृति के उपरान्त निविदादाता को अपने व्यय से निर्धारित स्टैम्प पर अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा।
- निविदादाता द्वारा विभागीय लागत से कम लागत की निविदा डालने की दशा में शासनादेश सं0-622/23-12-2012-2आडिट/09 टी0सी0-2 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार 10 प्रतिशत तक निम्न दरें प्राप्त होने पर 0.5 प्रतिशत प्रति प्रतिशत दर तथा 10 प्रतिशत से अधिक कम दरों पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम दर पर परफार्मेंस गारण्टी की अतिरिक्त धनराशि जमा करने के उपरान्त अनुबन्ध गठित किया जायेगा। निविदादाताओं द्वारा उक्त जमा न किये जाने पर उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- शासनादेश संख्या-115(1)/86-2020-52(सा0)/2019 टीसी दिनांक 15.01.2020 में स्पष्ट निर्देश है कि जिस खनिज की आपूर्ति बिना ई0एम0एम0-11 के माध्यम से कराया गया है उस खनिज की रायल्टी के साथ-साथ रायल्टी का पांच गुना खनिज मूल्य की वसूली ठेकेदार के बिल से की जायेगी एवं इस सम्बन्ध में भविष्य में उच्चाधिकारियों द्वारा प्राप्त निर्देश/आदेश का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- निविदादाता निविदा डालने के पूर्व उक्त सूची में अंकित निर्माण कार्य के स्थल को भलीभांति निरीक्षण अवश्य कर लें।
- निविदा के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर न्यायिक क्षेत्र अधिकार जनपद सोनभद्र न्यायालय में होगा।
- जी0एस0टी0 के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी प्राक्घान लागू होने तथा नियमानुसार आयकर व अन्य करों की कटौती की जायेगी।
- निविदा स्वीकृति के पश्चात् फर्म एवं ठेकेदार को एक सप्ताह के अन्दर अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण करनी होगी अन्यथा ठेकेदार की निविदा को निरस्त कर जमा धरोहर धनराशि जब्त करते हुए दूसरे नम्बर की निविदा पर विचार किया जा सकता है।
- ऐसे निविदादाता जिसका समा, सम्बन्धी नगर पालिका में अधिकारी/कर्मचारी के पद पर आसीन होयें को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस सम्बन्ध में नाम तथा पद सहित कार्यकारी रिश्तेदार का शपथ पत्र पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार कौंसिल में पंजीकृत है उन्हे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी, यदि संज्ञान में आया तो निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
- कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा, विलम्ब की दशा में ठेकेदार के अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- सी0सी0 रोड के निर्माण में बाइब्रेटर चलाना व तराई कराना अनिवार्य होगा।
- उपरोक्त कार्य में से रू0 5.00 लाख मूल्य से अधिक धनराशि वाले कार्यों की निविदा अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) महोदय के कार्यालय में खोली जायेगी एवं रू0 5.00 लाख से कम धनराशि वाले कार्यों की निविदा अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी महोदय नगर पालिका परिषद सोनभद्र के समक्ष खोली जायेगी।

(प्रदीप गिरि)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद-सोनभद्र

(विवेन्द्र कुमार जायसवाल)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद-सोनभद्र

संख्या- /दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- 1. ब्यूरो चीफ हिन्दी दैनिक.....

राष्ट्रीय सहाय / न्यायदाता

सोनभद्र को इस

आशय के साथ कि उक्त निविदा का प्रकाशन पालिका हित में न्यूनतम पठनीय जगह देते हुये तत्काल कराकर प्रकाशित समाचार पत्र की 04 प्रतियों के साथ बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।

2. प्रभारी अधिकारी NIC कलेक्ट्रेट सोनभद्र को जिलाधिकारी महोदय के आदेश पत्रांक-2250 / NIC-विविध / 2015 दिनांक अप्रैल 09, 2015 के अनुपालन में।

3. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चरपा हेतु।

4. निर्माण लिपिक/लेखा लिपिक, नगर पालिका परिषद सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(प्रदीप गिरि)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद-सोनभद्र

(विवेन्द्र कुमार जायसवाल)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद-सोनभद्र